36 II/निग०/रीवा/2018/0139

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा, जिला रीवा म.प्र.

[Court fee stamps: 20 रु. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES; 5 रु. COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES; 5 रु. COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — विलोपित] Rs.30/-

जगदीश प्रसाद सोनी पिता वृजवासी प्रसाद सोनी 55साल, निवासी ग्राम धबइया, थाना मनगवा, तहसील मनगवा, जिला रीवा म.प्र.

--------- निगरानी कर्ता

बनाम

शासन म0प्र0 जरिये जिलाध्यक्ष रीवा, पता कार्यालय कलेक्टर रीवा, जिला रीवा म.प्र.

--------- रेस्पाडेन्ट

अधि0श्री/श्रवण पाण्डे
द्वारा पेश/27-12-17

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 9.10.17 न्यायालय तहसीलदार तहसील मनगवा, जिला रीवा म.प्र. के प्र0 क्र0 98/17-18 मे की गई सीमांकन के पुँष्टि के विरुद्ध। ~~अन्तर्गत धारा~~ 50

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र0 भू0 रा0 सं0 1959 ई0।

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण

जो कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय माननीय तहसीलदार महोदय तह0 मनगवा, जिला रीवा म.प्र. के समक्ष निगराकार/आवेदक जगदीश प्रसाद सोनी तनय वृजवासी प्रसाद सोनी द्वारा ग्राम धबइया प0 ह0 नं0 26 तहसील मनगवा, के आराजी नम्बर 286/2,287/2 , के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर बिना आवेदक के उपस्थिती व उसकी सहमति के स्थानीय लोगो सरपंच व नेताओ के प्रभाव के रहते बिना आधुनिक उपकरण के मनमानी तौर पर सीमांकन की कार्यवाही राजस्व अधिकारियो द्वारा की गई, जिसकी पुँष्टि भी विद्वान अधी0 न्यायालय के द्वारा कर दी गई, जिससे दुखित होकर यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

2 पेज पर...

आगदी 21/5/14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/139

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक सुने गये । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक तहसील मनगवां जिला रीवा के प्रकरण कमांक 98 अ 12/17–18 में पारित आदेश दिनांक 9–10–17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
	2/ आवेदकगण के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया कि आवेदक ने उसके स्वामित्व की आराजी कमांक 286/2, 287/2 के सीमांकन का आवेदन दिया था जिस पर से आवेदक को सूचना दिये बिना तथा आवेदक की अनुपस्थिति में ही राजस्व निरीक्षक ने आधुनिक मशीन से मनमाने तौर पर सीमांकन कार्यवाही कर दी, जिससे आवेदक की भूमि की सीमा को दवाकर 5 से 6 फिुट मनमाने तरीके अलग दर्शा दिया , जिसके कारण किया गया सीमांकन आवेदक को स्वीकार नहीं है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व निरीक्षक तहसील मनगवां जिला रीवा व्दारा प्र0क0 98 अ 12/17–18 में पारित आदेश दिनांक 9–10–17 निरस्त किया जावे।	
	3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव आवेदक की ओर से प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक के सीमांकन आवेदन आने पर सीमांकन हेतु दल गठित हुआ है जिसमें निम्न राजस्व कर्मचारी सम्मिलित रहे है – 1– राजस्व निरीक्षक वृत्त गढ़ 2– राजस्व निरीक्षक वृत्त सूरा	

3– पटवारी हलका नंबर 1

4– पटवारी हलका संस्थापुर 17

5– ग्राम का पटवारी

सभी सरहदी कास्तकारों के समक्ष सीमांकन कार्यवाही दिनांक 29–7–17 को ई.टी.एस. मशीन व्दारा की गई है। सीमांकन दल व्दारा प्रतिवेदन दिनांक 29–7–17 में अंकित है कि आवेदक मौके पर उपस्थित रहा है एंव सीमांकन की कार्यवाही से अवगत रहा है किन्तु उसने सीमांकन कार्यवाही तथा पंचनामे पर हस्ताक्षर करने सं इंकार किया है। मौके पर सीमांकित भूमि के चारों कौनो पर पत्थर कायम कराये गये हैं।

4/ ऐसी स्थिति में आवेदक का यह कहना अविश्वसनीय है कि वह सीमांकन के समय उपस्थित नहीं रहा है एंव सीमांकन कार्यवाही एकपक्षीय है। पांच राजस्व कर्मियों के दल ने मौके पर उपस्थित रहकर पंचगणों के समक्ष सीमांकन कार्यवाही की है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में अंकित तथ्य वास्तविकता के विपरीत होने से निगरानी प्रचलन–योग्य न पाये जाने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य